पत्र संख्याजी0एस0टी0-ई सेवा केन्द्र (2017-18)/ 387 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिजय कर , उत्तर प्रदेश।

(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 01 जून मई, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 01, जुलाई, 2017 से GST प्रदेश में लागू होना प्रस्तावित है। GST कर प्रणाली के अन्तर्गत व्यापारियों के E registration से लेकर return filling, रिफण्ड आदि सम्बंधित समस्त प्रक्रिया व्यापारियों के लिए नये रुप में लागू हो जायेगी। जी0एस0टी0 एक्ट में निर्धारित किये गये form तथा इनकी सूचना व्यापारियों तथा अन्य Stake holders को देना विभाग की जिम्मेदारी है। अत: कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार हर कार्यालय में **"जी0एस0टी0 ई-सेवा केन्द्र"** स्थापित किया जाना है। कार्यालयों में वर्तमान में व्यापारी सुविधा केन्द्र स्थापित है जहॉ पर वैट व्यवस्था के अन्तर्गत व्यापारियों की रसीद काटने की व्यवस्था थी। इन व्यापारी सुविधा केन्द्रों में अब GST सम्बंधी कार्य किया जाना उचित होगा क्योंकि वैट सम्बंधी रसीदों की संख्या GST व्यवस्था लागू होने के पश्चात बहुत कम हो जाएगी।

प्रत्येक जोनल कार्यालय में 03 से 05 खण्डों के सापेक्ष एक कम्प्यूटर सिस्टम जी0एस0टी0 ई सेवा केन्द्र में उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक ई सेवा केन्द्र में एक Printer, Photocopier की व्यवस्था करायी जाये। विभाग के द्वारा जी0एस0टी0 व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु कम्प्यूटर सिस्टम तथा Printer क्रय किये जा रहे है तथा सहवर्ती उपकरण जैसे यू0पी0एस0 की व्यवस्था भी की जा रही है। यह नये सिस्टम, यू0पी0एस0, प्रिंटर जी0एस0टी0 ई-सेवा केन्द्र में आवश्यकतानुसार प्रयोग किये जायेंगें तथा यह मुख्यालय के द्वारा जोनल कार्यालय में आवंटित किये जायेंगें।

जी0एस0टी0 ई सेवा केन्द्र में व्यापारियों तथा अन्य stake holders के बैठने हेतु Lounge furniture की व्यवस्था की जाये जो स्टेनलेस स्टील से निर्मित हों तथा ज्यादा समय तक उपयोग में लाये जा सकें। जी0एस0टी0 ई सेवा केन्द्र चूंकि उपभोक्ता का विभाग से एक interface है अत: इसका interior उचित प्रकार से सुसज्जित किया जाये तथा वातानुकूलित बनाया जाये।

उक्त जी0एस0टी0 ई सेवा केन्द्र के नवीनीकरण, सुसज्जा तथा फोटोकॉपिअर पर में आ रहे अनुमानित व्यय का ऑकलन करते हुए दिनांक 07 जून, 2017 तक उक्त कार्य के बजट हेतु मांग का प्रस्ताव लेखा अनुभाग मुख्यालय को प्रेषित करते हुए एक प्रतिलिपि GST अनुभाग को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (IT/GST)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश।